

168

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा :-

पृ.क्रमांक/ 906 / आर.दो.(एच.)/2021, छिन्दवाड़ा, दिनांक 27/08/2021
प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. आवेदित विभाग... कार्यपालक... श्री मोहन मिश्रा विभाग, छिन्दवाड़ा
- 2. ... वन मंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वन मंडल
- 3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ... सुशारदेव
- 4. तहसीलदार ... लामिका

" को इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 05/अ-19(4)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 19/08/2021 की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



डिप्टी कलेक्टर
वसुध कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
ओर से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र
न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक- /005/अ-19(4)/2021-22
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा म.प्र. विरुद्ध वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

1	2	3
---	---	---

01/08/2021

प्रकरण प्रस्तुत।

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव से प्राप्त।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3034/त.शा./नवेगांव घानाउमरी/2021-22/छिन्दवाड़ा, दिनांक 28.06.2021 के माध्यम से लेख किया गया है कि नवेगांव घानाउमरी मुख्य मार्ग से टेकापार वनग्राम से बरेलीपार मार्ग लंबाई 4.30 कि.मी. के निर्माण के संबंध में मार्ग का एकरेखण वनक्षेत्र से गुजरने के कारण वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के संयुक्त निरीक्षण पर 2400 मीटर लंबाई में वनक्षेत्र आता है, जिसमें 7.00 मीटर की चौड़ाई मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनक्षेत्र में मार्ग निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली (लं. 2400 X 7.00 मीटर=16800 वर्ग मीटर) अर्थात् 1.68 हे० वनभूमि के समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को प्रदान की जानी है। अतः आवेदित विभाग द्वारा मार्ग उन्नयन कार्य हेतु 1.680 हे० वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव द्वारा उनके राजस्व प्रकरण क्रमांक 008/अ-19(3)/2021-22 प्रतिवेदन दिनांक 09/08/2021 में लेख किया गया कि तहसीलदार तामिया के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम लहगडुआ प०ह०न० 30 स्थित भूमि ख०न० 71/1 रकबा 53.754 हे० भूमि में से 1.680 हे० भूमि का नक्शे में लाल स्याही से चिन्हांकित कर आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रश्नाधीन भूमि मिसल बंदोबस्त वर्ष 1913-14 में पहाड़ मद में दर्ज होकर मिसल बंदोबस्त वर्ष 1967-68 में पहाड़ मद में दर्ज है तथा वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज है। आम इश्तहार का प्रकाशन कराया गया समयावधि में कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं। उक्त संबंध में वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल के पत्र क्रमांक म.चि./2021/3982 छिन्दवाड़ा दिनांक 04.08.2021 के द्वारा उक्त भूमि हस्तांतरित करने की सहमति प्रदान की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव द्वारा तहसीलदार तामिया के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम लहगडुआ प०ह०न० 30 रा०नि०म० व तहसील तामिया स्थित भूमि ख०न० 71/1 रकबा 53.754 हे० मद शासकीय में से 1.680 हे० भूमि बोमल्या से सातग्वारी प्रस्तावित मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली लगभग 1.680 हे० वनभूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी (पश्चिम) छिन्दवाड़ा वनमंडल को अंतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन इस न्यायालय में भेजा गया है।



राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र
न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक- /05/अ-19(4)/2021-22
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा म.प्र. विरुद्ध वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

1

2

3

तहसीलदार तामिया के प्रतिवेदन दिनांक 05/08/2021 में लेख किया गया कि ग्राम लहगडुआ प0ह0नं0 30 तहसील तामिया स्थित भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 में से 1.680 भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के संबंध में ग्राम पंचायत लहगडुआ की ग्राम सभा दिनांक 08.12.2020 के प्रस्ताव क्रमांक 1 के माध्यम से अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी से उक्त संबंध में जांच प्रतिवेदन लिया गया जिसके अनुसार ग्राम की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है-

1. ग्राम का कुल रकबा 1708.416 हे0 है।
2. ग्राम के खाते का कुल रकबा 816.418 हे0 है।
3. ग्राम में चराई का कुल रकबा 17.406 हे0 है।
4. ग्राम में आबादी का कुल रकबा 2.217 हे0 है।
5. निस्तार पत्रक के अनुसार- पहाड़ दर्ज है।
6. वर्तमान उपयोग- रिक्त है।
7. आपेक्षित भूमि पर पहाड़ी है एवं वृक्ष लगे हैं।
8. प्रश्नाधीन भूमि 2000 से कम जनसंख्या वाला ग्राम है।
9. प्रश्नाधीन भूमि मौके पर रिक्त पड़ी हुई है, मौके पर कोई नदी, नाला देवस्थान, मंदिर मस्जिद, कब्रस्तान आदि नहीं है।
10. प्रश्नाधीन भूमि पहाड़ चट्टान शासकीय मद में दर्ज है जिसमें से 1.680 हे0 भूमि जो कि नक्शे पर लाल रोशनी से चिह्नित है को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तामिया द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से 1.680 हे0 भूमि वनमंडलाधिकारी (पश्चिम) सामान्य छिन्दवाड़ा को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव के माध्यम से इस न्यायालय में भेजा गया है।

वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल द्वारा तहसीलदार तामिया को प्रेषित पत्र क्रमांक मा.चि./2021/3982 छिन्दवाड़ा दिनांक 04/08/2021 के माध्यम से लेख किया गया है कि उक्त संबंध में वनपरिक्षेत्राधिकारी तामिया द्वारा मौके पर जाकर राजस्व अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित ग्राम लहगडुआ प0ह0नं0 30 तहसील तामिया की गैर वन भूमि ख.नं. 71/1 रकबा 1.680 हे0 मद पहाड़ चट्टान की वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई है। अतः वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल द्वारा ग्राम लहगडुआ तहसील तामिया की भूमि ख0नं0 71/1 में से रकबा 1.680 हे0 का हस्तांतरण पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल के नाम से करने का अनुरोध कर सहमति व्यक्त की गई है।

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल



राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र
न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण क्रमांक- /05 /अ-19(4) / 2021-22
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिन्दवाड़ा म.प्र. विरुद्ध वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

1

2

3

के पत्र क्रमांक/एफ-6/11/06/10-3/2105, भोपाल दिनांक 03 जुलाई, 2008 के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अन्य भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है कि " वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जो वन भूमि विभिन्न कार्यों के लिये व्यपवर्तित की जाती है, उस भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रावधानित किया गया है। "

प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का मेरे द्वारा परिशीलन किया गया। प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 भूमि वर्तमान में शासकीय दर्ज है अधिकार अभिलेख में पहाड़ चट्टान मद में दर्ज होकर मिसल बंदोबस्त में पहाड़ मद में दर्ज है तथा प्रश्नाधीन भूमि की उपयुक्तता के संबंध में वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव एवं तहसीलदार तामिया द्वारा की गई जांच एवं अनुशंसा तथा वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम लहगड्डा प0ह0नं0 30 रा0नि0मं0 व तहसील तामिया स्थित प्रश्नाधीन भूमि ख0नं0 71/1 रकबा 53.754 हे0 में से 1.680 हे0 भूमि राजस्व भूमि मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-6/11/06/10-3/2105, भोपाल दिनांक 03 जुलाई, 2008 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में वन विभाग (वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल) को वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तांतरित की जाती है।

आदेश की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जुन्नारदेव एवं तहसीलदार तामिया की ओर प्रेषित की जाकर तहसीलदार तामिया को निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरुस्ती की जाकर प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य वन विभाग के पक्ष में सौंपा जावे।

आदेश की प्रति सर्वसंबंधितों को भेजी जावे।

प्रकरण नस्तीबद्ध, जिला अभिलेखागार जमा होवे।

(सौरभ कुमार सुमन)
कलेक्टर
जिला छिन्दवाड़ा।

